

जन सुनवाई विवरण

मैसनरी अंशुल चावला द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन माइंस इंटरलिकड विद स्टोन कशर, (खनन संख्या 01/2018, क्षेत्रफल 1.20 हैक्टेयर), निकट ग्राम- छपरा, तहसील - पहाड़ी, जिला - भरतपुर, (राजस्थान) की प्रस्तावित खनन उत्पादन क्षमता 2,96,460 (आर.ओ.एम.) टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित कशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल कलस्टर क्षेत्रफल 14.20 हैक्टेयर तथा कलस्टर में कुल 14 खनन पट्टा सम्मिलित) परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में आयोजित जन सुनवाई दिनांक 21.02.2023 का कार्यवृत्त विवरण (मिनिट्स)।

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रमाण ऑफिसल अधिसूचना, क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.06 तथा यथा संशोधित दिसम्बर 2009 में Office Memorandum No. J-11015/387/2008-J A,11 (m) dated 28th Sep. 2011 के प्राक्तनाम के अन्तर्गत मै0 अंशुल चावला द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन माइंस इंटरलिकड विद स्टोन कशर, (खनन पट्टा संख्या 01/2018, क्षेत्रफल 1.20 हैक्टेयर), निकट ग्राम- छपरा, तहसील - पहाड़ी, जिला - भरतपुर, (राजस्थान) की प्रस्तावित खनन उत्पादन क्षमता 2,96,460 (आर.ओ.एम) टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित कशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी.(कुल कलस्टर क्षेत्रफल 14.20 हैक्टेयर तथा कलस्टर में कुल 14 खनन पट्टा सम्मिलित) परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में श्री रतन कुमार अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर, (जिला कलक्टर, भरतपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में दिनांक 21.02.2023 को प्रातः 11.30 बजे, ग्राम, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, गंगोरा, तहसील- पहाड़ी, जिला - भरतपुर (राजस्थान) में जन सुनवाई आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट- 'क' पर संलग्न है। जन सुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 19.01.2023 को सांघ्य ज्योति दर्पण तथा राजस्थान पत्रिका, समाचार यज्ञ में प्रकाशित करवाई गयी थी जिसकी प्रतियां परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न हैं।

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुये श्री विवेक गोयल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उपस्थित सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत जन सुनवाई की आवश्यकता/प्रक्रिया के छारे में अवगत कराया कि यह जनसुनवाई मै0 अंशुल चावला द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन माइंस इंटरलिकड विद स्टोन कशर, (खनन पट्टा संख्या 01/2018, क्षेत्रफल 1.20 हैक्टेयर), निकट ग्राम- छपरा, तहसील - पहाड़ी, जिला - भरतपुर, (राजस्थान) की प्रस्तावित खनन उत्पादन क्षमता 2,96,460 (आर.ओ.एम) टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित कशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल कलस्टर क्षेत्रफल 14.20 हैक्टेयर तथा कलस्टर में कुल 14 खनन पट्टा सम्मिलित) परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति अंतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जा रही है।

 

श्री विवेक गोयल ने अतिरिक्त जिला कलकटर, भरतपुर एवं पधारे हुये सामर्थ ग्रामपालीका का अभिनंदन किया एवं जनसुगाहाई की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुये कहा कि उनमें से प्रस्तावित परियोजना के बारे में जनचेतना का विकास एवं संचार होता है, साथ ही परियोजना के पर्यावरण के संरक्षण संबंधित जनमानस की सोच एवं सुझाव उपलब्ध हो जाते हैं। श्री विवेक गोयल ने बताया कि इस बैठक में उपरिथित जन, गौखिक एवं लिखित रूप से अपनी आपत्तियाँ, सुझाव देने का राय दे सकते हैं।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलकटर, भरतपुर की अनुमति से इकाई के तकनीकी परियोजना की ओरामती कायनात अजीम द्वारा खनन परियोजना एवं खनन कार्य के पर्यावरणीय प्रभाव का प्रस्तुतीकरण किया गया एवं पर्यावरण प्रभाव आंकलन के सारांश के बारे में बताते हुए स्पष्ट किया। पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खदान इंटरलिंकड विद रटोन कशर परियोजना द्वारा किस प्रकार परियोजना का विकास किया जायेगा।

तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी भरतपुर द्वारा पधारे गये लोगों से उक्त खनन परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में सुझाव/आपत्ति/राय व्यक्त करने/प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

सर्वप्रथम श्री जुवैर जी निवासी ग्राम गंगोरा व तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि उनने पट्टाधारी द्वारा प्रायः स्वीकृति की शर्तों/नियमों/ प्रावधानों की अनदेखी की जाती है तथा अनियंत्रित ब्लास्टिंग से समीपवर्ती मकानों में दरारें आ जाती हैं और परियोजनाओं में स्थानीय लोगों का रोजगार का अवसर नहीं दिया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि स्वीकृति के शर्तों/नियमों की अक्षरशः अनुपालना की जायेगी तो उन्होंने प्रस्तावित परियोजना से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इसके प्रत्युत्तर में श्री अंशुल चावला (परियोजना प्रस्तावक) द्वारा सभी ग्रामवासियों के साथ का आग्रह किया गया एवं उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि परियोजना में स्थानीय ग्रामीणों को ही रोजगार दिया जाएगा।

तत्पश्चात् वहीद खान जी निवासी ग्राम गंगोरा, तहसील पहाड़ी, जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि यदि प्रस्तावित परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है तो उन्हे परियोजना से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

तदोपरांत श्री बलवीर सिंह जी, निवासी ग्राम गंगोरा, तहसील पहाड़ी, जिला भरतपुर द्वारा आपत्ति जाहिर की गयी कि पहले से रथापित खदान परियोजनाओं में प्रायः यह देखा गया है कि स्थानीय ग्रामीणों के साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता है तथा उन्हे रोजगार के अवसर से वंचित रखा जाता है। उनके द्वारा बताया गया कि परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित परियोजना से स्थानीय धार्मिक महत्व के स्थल, अंजनी माता का मंदिर को क्षति न पहुचे तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृति के शर्तों/नियमों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

✓ _____

श्री इमरान खान जी निवासी ग्राम गंगोरा तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर द्वारा बताया गया है। खदान परियोजनायें ही स्थानीय रोजगार का बेहतर विकल्प है तथा प्रस्तावित परियोजना वे स्थानीय रोजगार का विकल्प मिलेगा। उन्होंने बताया कि यदि प्रस्तावित परियोजना में स्थानीय लोगों ने रोजगार का अवसर मिलता है तो उन्हें परियोजना से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भरतपुर द्वारा जानकारी दी गयी है कि क्या प्रस्तावित खदान परियोजना में रटोन कशिंग का कार्य किया जाएगा और यदि रटोन कशिंग का कार्य किया जाता है तो कशिंग गतिविधि में प्रदूषण रोकथाम हेतु क्या व्यवस्था की जाएगी।

इसके प्रत्युत्तर में तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया किया गया कि कशिंग नियमानुसार ही की जायेगी तथा सभी आवश्यक प्रदूषण रोकथाम उपायों जैसे धूल दमन हेतु पानी छिड़काव, मशीनों को ढकना आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

श्री रहमान जी निवासी ग्राम गंगोरा, तहसील पहाड़ी, जिला भरतपुर द्वारा बताया गया है। परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित परियोजना से स्थानीय धार्मिक महत्व के स्थल भजिद-मंदिर को क्षति न पहुंचे तथा प्रस्तावित परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिले तो उन्हें परियोजना से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर तथा अतिरिक्त जिला कलकटा, भरतपुर द्वारा मुनः आमजन से आग्रह किया कि यदि किसी भी व्यक्ति से इस परियोजना के बारे में सुझाव या शिकायत हो तो बैठक को अवगत करायें।

लदोपरांत कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए अतिरिक्त जिला कलकटर, भरतपुर ने समीक्षानक उद्बोधन एवं धन्यवाद व्यक्त करते हुये बैठक में उपरिथित जन को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा सभी गये विचार रिकॉर्ड किये गये हैं। आपके विचार व सुझाव/आपत्तियों सभी सम्मिलित कर संबंधितों को भेजी जायेंगी, जिसके समग्र बिन्दुओं पर विचारोपरांत ही प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरण स्थीरता दिये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

अंत में श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलकटर, भरतपुर द्वारा जनसुनवाई में उपरिथित व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुये धन्यवाद के साथ पर्यावरणीय लोकसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।


(विवेक गोयल)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं., भरतपुर


(रामेन्द्र कुमार)
अति. जिला कलकटर
भरतपुर, (राज.)



शेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल

जिन्दल इंडिपीटल के पीछे

श्यामा प्रसाद मुख्यमंत्री नगर, भरतपुर (राज.)

उपस्थिति विवरण प्रपत्र

मेनटी अंशुल बाबला, मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंक्ड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 01/2018, दोमान 1, 20 हेक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पढाड़ी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,96,460 (ROM) ३५ हेक्टे
र की प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लास्टर धेत्रफल 14.20 हेक्टेयर तथा क्लास्टर में कुल १५
हेक्टा पट्टा अभियान) के लिये पर्यावरण खोकर्ता वावत जन सुनवाई दिनांक 21.02.2023 को 11:30 AM से 12:15
PM तक, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, गंगोरा तहसील पढाड़ी जिला भरतपुर का उपस्थिति विवरण :-

स्रोत	नाम	पता	मोबाइल नं.	दोमान
1	रत्न कुमार	ADM		24
2	कुमारी शाह	SDM		राजीव
3	R.N. Mangal	RO, RLC, Bhawati	9530348500	10
4	R.N. Mangal	ME, Bhawati	9828297860	10
5	Debjyoti Singh	BDO	756825725	36
6	Amrit Tripathi	085718803	700732292	21
7	मुकुल	गंगोरा पढाड़ी	9828016716	62
8	विद्युत	गंगोरा पढाड़ी	9582413535	वहाँ
9	बलबीर सिंह	गंगोरा पढाड़ी	8095799731	झांगरा
10	दुष्मा कालराई	गंगोरा पढाड़ी		दुष्मा कालराई
11	समराजन कुमार	गंगोरा पढाड़ी	9783971606	सुगंगरा
12	अंग्रेज सिंह सरदार	गंगोरा पढाड़ी	9001528661	
13	26 मान	गंगोरा पढाड़ी	8000975291	
14	2मजारा	गंगोरा		
15	अमी छान	गंगोरा पढाड़ी	7568266872	मिलोजान
16	32 मान	गंगोरा पढाड़ी	-	2
17	जाने-कुमार	गंगोरा पढाड़ी	9057232112	मिल
18	रमेश	गंगोरा पढाड़ी	7378066462	मिल
19	मुकुल	गंगोरा पढाड़ी	7427056726	मिल
20	तारीग	गंगोरा पढाड़ी	7742878073	मिल

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे
श्यामा प्रसाद मुख्यमंत्री नगर, भरतपुर (राज.)

उपस्थिति विवरण प्रपत्र

मैटर्स अंशुल चावला, मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंकड विद स्टोन कशर (खनन पट्टा संख्या 01/2018, क्षेत्रफल 1.41 हेक्टेएर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,96,460 (ROM) रुपये के लिए व्यवस्थित कशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल कलस्टर क्षेत्रफल 14.20 हेक्टेएर तथा कलस्टर में एक एक घटा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति बाबत जन सुनवाई दिनांक 21.02.2023 को 11:30 AM से 12:15 PM तक, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, गंगोरा तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर का उपस्थिति विवरण :-

पट्टा	पट्टा	पट्टा	पट्टा
नोम उमाररामी	मू. कामिनी जीतकुली	8449699961	000
छपरा	गंगोरा	9902519540	000
छपरा	गंगोरा	—	22000
छपरा	गंगोरा	859501133	प्रस्ताव
छपरा	गंगोरा	9887155713	—
छपरा	गंगोरा	90752700073	प्रस्ताव
छपरा	गंगोरा	7296860048	2-11-20
छपरा	गंगोरा मैक्टुर	9614025717	Gang
छपरा	गंगोरा मैक्टुर	9828139651	Punjak
छपरा	गंगोरा मैक्टुर कटावी	981336703	Ka
छपरा	गंगोरा मैक्टुर कटावी	9877770944	—
छपरा	गंगोरा	948260352	30000
छपरा	गंगोरा	9509515941	Muk.
छपरा	गंगोरा	7240797115	00
Raynil Razem	CRIPL Udaipur	8003182518	Bm
छपरा	गंगोरा	7568341617	31825
Neeraj kr S M Patel	गंगोरा	9930072286	—
Jitendra Yadav	गंगोरा	9671555230	Jit
Sanjay Singh	गंगोरा	9413614139	h